# न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 52/2021/अपील/एल0आर0एक्ट/बांरा
दायरा दिनांक 18.1.2021
किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

**उनवान**

रामचन्द्र आत्मज बिहारीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कासमपुरा तहसील अटरू जिला बांरा।

..... अपीलार्थी

**बनाम**

दी स्टेट ऑफ राजस्थान।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभि0 रेस्पो0

**:: निर्णय ::**

दिनांक 20.9.2021

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रकरण सं. 11/2019 बउनवान रामचन्द्र बनाम राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार कवाई अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट मे पारित निर्णय दि0 11.9.2019 के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई द्वारा प्रकरण सं0 148/2019 अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट अपीलांट द्वारा ग्राम कासमपुरा की सरकारी भूमि किस्म बारानी पर संम्वत 2075 मे ख0 नम्बर 78/649 कुल रकबा 1.40 है0 तथा ख0 नं0 38 की 0.20 कुल किता 2 रकबा 1.60 है0 पर अतिक्रमण कर फसल सरसों बुवाई कर कब्जा करने तथा पूर्व मे उक्त भूमि पर कब्जा करने से पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित किया जाकर 3 माह के सिविल कारावास तथा तावान राशि 620 रूपये कायम की जाकर सरसों की फसल जप्त राज करने के दण्ड से दण्डित किये जाने का दिनांक 25.3.2019 को निर्णय पारित किया गया। नायब तहसीलदार कवाई के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बांरा (प्रथम अपीलेट न्यायालय) मे धारा 75 एलआरएक्ट अन्तर्गत अपील पेश की गई जिसे प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर नायब तहसीलदार कवाई द्वारा उक्त प्रकरण मे पारित आदेश दिनांक 25.3.2019 मे बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखते हुये उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया कि नायब तहसीलदार कवाई द्वारा आईएलआर स्तर के अधिकारी से मौके पर 2 बार विवादित आराजी पर अतिक्रमण होने की जांच कराई जावे, यदि अपीलांट का विवादित आराजी वाकै ग्राम कासमपुरा तहसीलदार अटरू के खसरा नम्बर 78/649 की 1.40 है0 व 38 की रकबा 0.20 है0 भूमि कुल किता 2 रकबा 1.60 है0 भूमि किस्म बारानी पर कब्जा नही पाया जावे तो नायब तहसीलदार कवाई द्वारा प्रकरण सं0 148/2019 धारा 91 एलआरएक्ट मे पारित आदेश दिनांक 25.3.2019 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा नायब तहसीलदार कवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.3.2019 यथावत रहेगा।

2 प्रथम अपीलेट न्यायालय, द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा मे द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि आदेश हरदो अधीनस्थ न्यायालय कानून, न्याय एंव तथ्यों के सर्वथा विपरीत है क्योकि वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी होना मानकर आदेश जेरअपील पारित करने मे त्रुटि की है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नही किया इस आधार पर भी परीक्षण न्यायालय का आदेश काबिल निरस्तनीय था इस पर प्रथम अपीलेट न्यायालय ने गौर नही कर त्रुटि की है। उक्त भूमि पिता के समय से ही करीब 70 वर्षो से अधिक से अपीलांट के पिता व अपीलांट के कब्जे मे चली आ रही है तथा अपीलांट भूमि नियमन करवाने की पूर्ण योग्यता रखता है अतः राज्य सरकार के समय समय पर जारी आदेशों के तहत भी आवंटन नियम 20 के तहत अधीनस्थ न्यायालय को भूमि अपीलांट

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

को नियमित करने का आदेश प्रदान करना चाहिये था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू द्वारा अपीलांट द्वारा पेश किये गये वाद रामचन्द्र बनाम राज0 सरकार प्रकरण सं0 125/04 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 14.7.2005 के अनुसार भी अधीनस्थ न्यायालय को भूमि को नियमन अथवा आवंटन करने का निर्देश प्रदान करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने नियम 20 आवंटन नियम 1970 को समझे बिना ही अपीलांट को आवंटन का पात्र नही होना मानने मे त्रुटि की है जबकि वर्तमान नियम के अनुसार अपीलांट पूर्व मे धारित एवं आवंटित भूमि मिलाकर 4 है0 भूमि आवंटित करवा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को भू आवंटन सलाहकार समिति को आपीलांट को भूमि आवंटित करने का निर्देश पारित करने के निर्देश पारित करना चाहिये था। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश अपील हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करते हुये भूमि अपीलांट को नियमन अथवा आवंटन करने के लिये आवंटन सलाहकार समिति को निर्देशित किये जाने की इस्तदुआ की गई।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को ही दोहराया तथा कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नही किया। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना जेरअपील आदेश पारित कर त्रुटि की है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट एंव अपीलांट के पिता का लगभग 70 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है अतः वादग्रस्त भूमि को अपीलांट नियमन/आवंटन की जानी चाहिये थी किन्तु हरदो अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नही किया। अधीनस्थ न्यायालय ने नियम 20 आवंटन नियम 1970 को समझे बिना ही अपीलांट को आवंटन का पात्र नही होना मानने मे त्रुटि की है जबकि वर्तमान नियम के अनुसार अपीलांट पूर्व मे धारित एवं आवंटित भूमि मिलाकर 4 है0 भूमि आवंटित करवा सकता है। बहस मे यह भी कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने शास्ति अधिरोपित कर 3 माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित कर त्रुटि की है क्योंकि सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रो के अनुसार वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी का नियमन अथवा आवंटन अपीलार्थी को किया जा सकता है। उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नही किया। अपने कथन के समर्थन मे आरएलडब्लू 2008(1)राज0 पेज 670 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय अपास्त कर अपीलांट को भूमि नियमन/आवंटन करने के लिये आवंटन सलाहकार समिति को निर्देशित करने का अनुरोध किया।

5 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि परीक्षण न्यायालय नायब तह0 कवाई द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश पारित किया है अपीलांट ने बिना किसी विधिक अधिकार के सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। वादग्रस्त भूमि पर पूर्व मे अपीलार्थी द्वारा कब्जा किया गया था ऐसी स्थिति मे अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से परीक्षण न्यायालय का आदेश न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर जेरअपील निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। राजकीय अभिभाषक ने बहस मे यह भी कथन किया कि अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि को नियमन/आवंटन कराने का पात्र नही है। ऐसी स्थिति मे निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

6 हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन कर प्रकरण मे अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आरएलडब्लू 2008(1)राज0 पेज 670 का पर गौर किया। परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई द्वारा प्रकरण सं0 148/2019 अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट मे न्यायालय उपजिला कलक्टर अटरू द्वारा वाद प्रकरण सं0 126/04 रामचन्द्र बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 14.7.2005 मे दिये गये निर्देशो के परिपेक्ष्य मे अपीलार्थी के पास निर्धारित मापदण्ड 15 बीघा से अधिक भूमि स्वयं के खाते मे होने के कारण आवंटन/नियमन हेतु प्रार्थना पत्र, अतिक्रमी आवंटन की पात्रता मे नही आने के कारण आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष रखे जाने का कोई औचित्य नही होने संबधी अभिमत प्रकट करते हुये ग्राम कासमपुरा की सरकारी भूमि किस्म बारानी पर संम्वत 2075 मे ख0 नम्बर 78/649 कुल रकबा 1.40 है0 तथा ख0 नं0 38 की 0.20 कुल किता 2 रकबा 1.60 है0 पर अपीलार्थी ने अतिक्रमण कर फसल

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

सरसों बुवाई कर कब्जा करने तथा पूर्व मे उक्त भूमि पर कब्जा करने से पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित किया जाकर 3 माह के सिविल कारावास तथा तावान राशि 620 रूपये तथा सरसों की फसल जप्त राज करने का दिनांक 25.2019 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपीलेट न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बांरा मे प्रस्तुत अपील को उनके द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.3.2019 मे बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखते हुये उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया कि नायब तहसीलदार कवाई द्वारा आईएलआर स्तर के अधिकारी से मौके पर 2 बार विवादित आराजी पर अतिक्रमण होने की जांच कराई जावे, यदि अपीलांट का विवादित आराजी वाकै ग्राम कासमपुरा तहसील अटरू के खसरा नम्बर 78/649 की 1.40 है0 व 38 की रकबा 0.20 है0 भूमि कुल किता 2 रकबा 1.60 है0 भूमि किस्म बारानी पर कब्जा नही पाया जावे तो नायब तहसीलदार कवाई द्वारा प्रकरण सं0 148/2019 धारा 91 एलआरएक्ट मे पारित आदेश दिनांक 25.3.2019 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा नायब तहसीलदार कवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.3.2019 यथावत रहेगा। हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उक्त वर्णित आराजी पर अपीलांट एंव उसके पिता का लगभग 70 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है अतः वादग्रस्त भूमि अपीलांट को नियमन/आवंटन की जानी चाहिये थी किन्तु हरदो अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नही किया। अधीनस्थ न्यायालय ने नियम 20 आवंटन नियम 1970 को समझे बिना ही अपीलांट को आवंटन का पात्र नही होना मानने मे त्रुटि की है जबकि वर्तमान नियम के अनुसार अपीलांट पूर्व मे धारित एवं आवंटित भूमि मिलाकर 4 है0 भूमि आवंटित करवा सकता है। अपीलांट के उपरोक्त तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक नजीर आरएलडब्लू 2008(1)राज0 पेज 670 का अवलोकन किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू द्वारा वाद प्रकरण सं0 126/04 रामचन्द्र बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 14.7.2005 मे दिये गये निर्देशो के आलोक मे परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई द्वारा वादग्रस्त भूमि के विधिसम्मत नियमन/आवंटन अथवा निस्तारण हेतु प्रकरण को भूमि आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत नही कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 अन्तर्गत दिनांक 25.3.2019 को अपीलांट/अतिक्रमी को भूमि आवंटन का पात्र नही होने संबधी स्वयं द्वारा अभिमत प्रकट करते हुये निर्णय पारित कर त्रुटि की है प्रथम अपीलेट न्यायालय ने भी इस तथ्य की ओर कोई ध्यान दिये बिना जेरअपील निर्णय दिनांक 11.9.2019 पारित किया है जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। अतः विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरएलडब्लू 2008(1)राज0 पेज 670 चस्पा होते है। हस्तगत अपील प्रकरण में अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि उक्त वादग्रस्त आराजी पर उसके पिता के समय से लगभग 70 वर्षो से उसका कब्जा चला आ रहा है तथा इस आधार पर वह भूमि को नियमन/आवंटन कराने की पात्रता रखता है अतः इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी सरकारी नियमों/परिपत्रों के आलोक मे नियमन बावत प्रकरण विचार करने के लिये आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नायब तहसीलदार कवाई को रिमांड (प्रतिप्रेषित) किया जाता है। तब तक परीक्षण न्यायालय ना0 तह0 कवाई एवं प्रथम अपीलेट न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बांरा द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध मे पारित जेरअपील निर्णय की क्रियान्विति के संबध मे आंशिक संशोधन करते हुये आदेश दिया जाता है कि ना0 तह0 कवाई द्वारा प्रकरण सं0 148/2019 मे अधिरोपित शास्ति एंव फसल जप्ती संबधी कार्यवाही को यथावत रखते हुये उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की 3 माह की सजा को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वादग्रस्त भूमि के नियमन/आवंटन के संबध मे लिये गये निर्णय अनुसार यदि अपीलांट वादग्रस्त भूमि के नियमन/आवंटन योग्य पाया जाता है तो माफ रहेगी अन्यथा प्रथम अपीलेट न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बांरा द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 11.9.2019 यथावत रहेगा।

7 निर्णय आज दिनांक 20.9..2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

20/9/21

( कैलाश चन्द मीना )
संभागीय आयुक्त, कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा